



खेरथा, दिनांक 04/06/2021

// सूचना //

समस्त बी.ए / बी.एस.सी. / बी.कॉम. प्रधम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के नियमित अमहाविद्यालयीन, भूतपूर्व एवं पूरक छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2020-21 की उत्तरपुस्तिका निम्नाकित तिथियों में महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें।

**उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश**

- (1) जिन छात्र/छात्राओं ने परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा नहीं किया है वे पिछली परीक्षाओं की अकसूची की घायापति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन की हार्डकॉपी जमा करेंगे।
- (2) उत्तरपुस्तिका में हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित काहर पेज लगाना अनिवार्य है। काहर पेज में नाम कक्षा, रोल नं., प्रश्न पत्र का कोड अवश्य अंकित करें।
- (3) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय परीक्षार्थीयों को प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तथा निर्धारित स्थान पर उत्तर पुस्तिका जमा कर हस्ताक्षर अवश्य करें।
- (4) उत्तरपुस्तिका जमा नहीं करने पर उक्त परीक्षार्थी को अनुपस्थित माना जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात उत्तर पुस्तिका जमा नहीं ली जावेगी।
- (5) उत्तर पुस्तिका जमा करते समय मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करे एवं निर्धारित काउन्टर पर निश्चित दूरी बनाकर कोरोना गाइडलाईन का पालन करें।

**नोट :-** शासन द्वारा जारी कोविड 19 प्रोटोकॉल तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें।



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

(यासर कुरैशी)  
प्र. प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला बालोद

**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला - बालोद (छ.ग.)**  
का. 374 / 2017

खेरथा दिनांक 15/12/2017

प्रति

बी.की. प्रभारी,  
चौकी सजारी,  
जिला बालोद छ.ग.

विषय-

परीक्षा अवधि में सुरक्षा प्रदान करने वाला।

विषयांतर्गत लेख है कि दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग छ.ग द्वारा एम०१० राजनीति विज्ञान प्रधम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 20/12/2017 से दिनांक 4/12/2018 तक आयोजित है। उपरोक्त समयावधि में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कार्य करें।

धन्यवाद।

(डॉ. आलोक मिश्र)  
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला - बालोद छ.ग

पृष्ठा 375 / 2017  
प्रतिलिपि -

1. जिला अधीकार, जिला बालोद छ.ग



B.R. MISHRA  
20/12/17



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

## संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय

**स्नातक स्तर :-** किसी भी संकाय के इथम तर्फ में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन के अतिरिक्त निम्न समूहों में किन्हीं तीन समूहों में एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

सीट संख्या	विषय - समूह	सीट संख्या
कला संकाय (बी.ए.) - 70	विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) - 70	
विषय	विषय	
समाजशास्त्र	रसायन	
राजनीति शास्त्र	दृष्टिविज्ञान	
हिन्दी साहित्य	प्राणिशास्त्र	
भूगोल		
अंग्रेजी साहित्य		
वाणिज्य (बी.डॉम.) - 60	स्नातकोत्तर एम.ए. राजनीति विज्ञान - 25	
दिशविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त अनिवार्य विषय समूह		
टीप :- प्रवेश लेने के बाद चयनित विषय में किसी भी स्तर परिवर्तन नहीं होगा। अतः विषयों के चयन में पूरी सावधानी वर्तने।		

### प्रवेश संबंधी नियमावली

- महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धांत के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी।
- प्रवेश-शुल्क जमा करने पर ही दैव माना जावेगा।
- किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये प्रात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा सेन्ट्रल बोर्ड, नवी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा प्रदान किया जावेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए संस्था के सूचना पटल का अवलोकन करें। नियामित तिथि तक शुल्क जमा करने पर आवेदन स्वरूप निरस्त हो जायेगा।

- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राप्तिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें छात्रवृत्ति की प्राप्तता नहीं होगी।
- क्लीड़ केंद्र के प्रतिमान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

### छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण सहित

#### सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरता: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

- विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी गिरिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसर्वीय भाषा का प्रयोग वाली गती गलीच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेगा।
- महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल व निर्वसन और मितव्यी जीवन निर्वाह करेगा।
- महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा दर्जित रहेगा।
- महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में सलिल पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
- वह अपनी माँगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा का आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाजावार पत्रों का उपयोग नहीं करेंगे।

### आवेदन संबंधी नियम

- प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपरियति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे बर्खिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग साधारणीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुधरा रखेगा।
- ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे नियांरित संख्या में ही पुस्तकों प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर नियांरित आर्थिक दण्ड देना होगा।
- अल्घान से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शास्त्रीपूर्वक ढंग से अभ्यासदेन प्रस्तुत करेगा।
- व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पर्ख, लाइट, फ़ोनीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना अवश्यक आवश्यक माना जायेगा।

### परीक्षा संबंधी नियम

- विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई, परीक्षाओं, व्रेमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय विकित्सक से मेडिकल स्टीफिक्ट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
- परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुरुचरण माना जायेगा।

### महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

- यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र रेगिस्ट्रेशन में लिपि पाया गया तो छन्नीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताङ्गना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रेगिस्ट्रेशन के लिए प्रतिरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
- यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा, अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पात्र 5 अंग अधिभावक का घोषणा एवं पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के काम्यकृत है।


### छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें

- विद्यार्थी सहायता निधि : गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरूरतमंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिर सहायता प्रदान की जाती है।
- छात्रवृत्ति : महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- पुस्तकालय एवं वाचनालय : इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध हैं।
- Girls Common Room : इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common Room की व्यवस्था है।
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : इस प्रकोष्ठ के लिये शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है।
- महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Woman Conselling Cell) : इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Conselling) के द्वारा मार्गदर्शन करती है।
- चिकित्सा सुविधा : महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. के छात्रों द्वारा विकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है। महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है।
- खेलकूद : छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के लिए प्राच्यापांकों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है -

खेल मैदान :- लगभग 4 एकड़

- (अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, वालीबॉल, वास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी
- (ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज

Principal,  
Govt. College, Khertha  
(C.G.)



- रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं : इस महाविद्यालय के प्राच्यापांकों के द्वारा हर कक्षा के कमज़ोर एवं दीदीधामा छात्रों को पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल / ट्यूटोरियल / विशेष कक्षाएं ली जाती है।
- अतिथि व्याख्यान : महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

### शैक्षणिक गतिविधियाँ

**N.S.S. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :** इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है।

**गतिविधि समितियाँ (Activity Committee) :** विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियाँ का गठन किया जाता है।

- सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)
- सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Committee)
- विज्ञान समिति (Science Committee)
- क्रीड़ा समिति (Sports Committee)
- लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Committee)
- पर्यावरण समिति (Eco Committee)
- अनुशासन समिति (Discipline Committee)
- एंटीरेंगिंग समिति (Antiraging Committee)
- भौतिक सत्याग्रह समिति (Cultural Committee)
- रेडक्रॉस समिति (Redcross Committee)

**शैक्षणिक भ्रमण :** महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को उनके विषय का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु भ्रमण के लिए लाया जाता है।  
**संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / विज्ञान प्रदर्शनी :** स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी / कार्यशाला / वाद-विवाद / प्रश्नमंच / पोर्टर प्रदर्शनी का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है।

**पूर्व विद्यार्थी समिति (Alumni Association) :** राष्ट्र, राज्य एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी एवं योगदान देने वाली इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं का यह संगठन विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श, अनुभव एवं रस्ते को आपस में बांटता है एवं इस महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान देता है।

**शिक्षक पालक समिति :** पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान, विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिये पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है।

**एन्टी रेंगिंग समिति :** महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान न किया जावे इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रेंगिंग समिति गठित की जाती है, जो इस हेतु सावधानीपूर्वक निगरानी रखती है। महाविद्यालय में रेंगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है। फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है।

**पुरस्कार वितरण समारोह :** वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मंधानी छात्राओं को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा अनुशासित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

**आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रोष :** इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रोष के लिए प्राच्यापांकों की एक समिति गठित की जाती है। इस समिति के द्वारा हांगे वाली यूनिट टेरर, तिमाही एवं छःमाही परीक्षाएँ संचालित की जाती है। इसके अंतिरिक छात्रों के विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता -

- प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपरिक्षिति अनिवार्य।
- कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक है।
- एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों की उपरिक्षित माना जावेगा।
- उपरिक्षिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
- कम उपरिक्षिति गाले छात्रों को सूचना पट्ट पर सूचना दी जावेगी।
- उपरिक्षिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जावेगी।
- विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इन आंतरिक शुल्क ले सकते।

